कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा।

पत्रांक– /15–1 दिनांक, मथुरा, 27 अगस्त,2019.

अल्पकालीन निविदा सूचना

1– महामहिम, राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा, किसी भी पंजीकृत पौधशालाओं से कैम्पा एवं अन्य विभागीय आयोजनाओं हेतु प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा के द्वारा बताए गए स्थलों पर 23 X 15 से0मी0 छोटी थैली तथा 35 X 50 से0मी0 (14" X 20") साइज के Woven (HDPE Bages) बैग्स आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित की जाती हैं। निविदा दिनांक 11.09.2019 के अपरान्ह 2.00 बजे तक अथवा पूर्व में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में बन्द बाक्स में डाली जा सकती है। प्राप्त निविदा उसी दिन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में अधोहस्ताक्षरी अथवा नामित अधिकारी द्वारा दिनांक 09.09.2019 को सांय 4.00 बजे खोले जायेगी। निविदादाता चाहे तो निविदा खोलते समय उपस्थित रह सकते हैं। लिफाफे के ऊपर 23 X 15 से0मी0 छोटी थैली तथा 35 X 50 से0मी0 (14" X 20") साइज के Woven (HDPE Bages) बैग्स आपूर्ति हेतु निविदा लिखा जाना आवश्यक है। समस्त स्थलों पर 23 X 15 से0मी0 छोटी थैली तथा 35 X 50 से0मी0 (14" X 20") साइज के Woven (HDPE Bages) बैग्स की आपूर्ति हेतु एक निविदा फार्म क्रय करना होगा तथा बन्द लिफाफे में ही निविदा बॉक्स में डालना होगा।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	कार्य की मात्रा	कार्य की अनुमानित लागत लाख में	आपूर्ति स्थल का नाम	अर्नेस्ट मनी की धनराशि	टैण्डर फार्म का मूल्य	कार्य समाप्ति की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मथुरा वन प्रभाग की विभिन्न पौधशालाओं के प्रयोगार्थ हेतु विभिन्न ऊँचाई की स्वथ्य 23 X 15 से0मी0 छोटी थैली, तथा 35 X 50 से0मी0 (14" X 20") साइज के Woven (HDPE Bages) आपूर्ति मय ढुलान, लोडिगं एवं अनलोडिगं सहित।	(1) 23 X 15 से0मी0 छोटी थैली (2) 35 X 50 से0मी0 (14" X 20") साइज के Woven (HDPE Bages)	10.00 लाख 0.10 लाख	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग मथुरा के द्वारा बताए गए निर्दिष्ट स्थलों पर	20,000	(300+ 100) + वैट	आपूर्ति आदेश के दि0 से पन्द्रह दिन के अन्दर

निविदा की शर्ते :–

1–निविदा फार्म में तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड के प्रपत्र अलग–अलग हैं, जिसे अलग–अलग बन्द लिफाफों में भरकर प्रस्तुत करना होगा तथा इन लिफाफों पर स्पष्ट रूप से तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड अंकित होना चाहिए। दोनों बन्द लिफाफों को पुनः एक अन्य लिफाफे में बन्द कर टैण्डर दिनांक 11.09.2019 के अपरान्ह 2.00 बजे तक अथवा पूर्व में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में बन्द बाक्स में डाली जा सकती है। उपरोक्त दिनांक व समय के बाद कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

2–कार्य को पूर्ण करने की अवधि कॉलम सं0 8 में अंकित है।

3–कॉलम संख्या–3 में दी गयी मात्रा आपूर्ति स्थलवार कम या अधिक हो सकती है। आपूर्ति बजट की उपलब्धता एवं कार्य की स्वीकृति से आच्छादित होगी।

4–निविदा प्रपत्र प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा के कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी से निर्धारित मूल्य देकर दिनांक 27.08.2019 से दिनांक 10.09.2019 तक किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 11.00 बजे सांय 4.00 बजे तक नगद अथवा किसी अधिकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो "प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा" के पक्ष में देय हो जमा कर प्राप्त की जा सकती है। इच्छुक निविदादाता अन्य आवश्यक सूचनायें प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग,स्वर्ग मार्ग स्थित, फोरेस्ट कॉलौनी, मथुरा के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

5–दिनांक 11.09.2019 को अपरान्ह 2.00 बजे बक्सा सील कर दिया जायेगा।

6–समस्त कार्यों को निर्धारित तिथि तक पूर्ण करना होगा। अन्यथा स्वीकृत निविदादाता को विलम्ब शुल्क अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित दर के अनुसार प्रतिदिन के हिसाब से करना होगा।

7–निर्धारित अर्नेस्ट मनी की धनराशि जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0सी0डी0ए0 या पोस्ट आफिस की एन0एस0सी0 के रूप में अधोहस्ताक्षरी के नाम निरूपित हों, टैण्डर के साथ संलग्न होनी चाहिए।

8–अधोहस्ताक्षरी को यदि यह विश्वास हो जाये कि स्वीकृत टैण्डर दाता कार्य समय से सम्पन्न करने या कार्य अनुमान से निर्धारित मानक के अनुसार नहीं कर रहा है तो स्वीकृत टैण्डर दाता की जमानत जब्त कर कार्य किसी अन्य एजेंसी/द्वितीय न्यूनतम टैण्डर दाता अथवा विभागीय रूप से कराने का अधिकार सुरक्षित होगा।

9–अधोहस्ताक्षरी को बिना कोई कारण बताये किसी भी टैण्डर को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

10–स्वीकृत टैण्डर दाता को नियमानुसार जी0एस0टी0, स्टाम्प डयूटी व आयकर आदि जो भी कर कार्य अवधि के समय लागू होंगे, जमा करना होगा।

11–किसी भी विवाद की स्थिति में वन संरक्षक, आगरा वृत्त आगरा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

12–टैण्डरदाता को किसी भी संस्था में काली सूची में दर्ज न होने का टैण्डर स्वीकृत होने के उपरान्त नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र कार्यादेश जारी होने से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

13–कोई भी निविदादाता कार्यदायी प्रभाग–वृत्त में जहां उनका संबंधित अथवा उनकी पत्नी का कोई निकट संबंधी (प्रथम रक्त संबंधी अथवा उसकी पत्नी) किसी पद पर कार्यरत हो, निविदा डालने के लिए अनुमन्य नहीं होगा।

14–राज्य एवं केन्द्र सरकार के अन्तर्गत कोई भी राजपत्रित अधिकारी जो वन विभाग में प्रशासनिक पद पर रहा हो, सेवानिवृत्ति के दो वर्ष तक शासन की अनुमति के बिना ठेकेदारी के कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे। यदि कार्य अवधि में ऐसा पाया जाता है तो उक्त अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।

15–कोई भी निविदादाता जिसका अपराधिक इतिहास हो, को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

16–स्टेट बार काउन्सिल में पंजीकृत किसी भी निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

17–निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त सामग्री मूल्य का 10 प्रतिशत जमानत की धनराशि की राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0सी0डी0ए0 या पोस्ट आफिस की एन0एस0सी0 के रूप में अधोहस्ताक्षरी के नाम निरूपित हों, अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना होगा। अर्नेस्ट मनी की धनराशि को जमानत की धनराशि में समायोजित किया जा सकता है।

18–निविदादाता द्वारा निविदा स्वीकृत होने के पश्चात अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने होगें।

19–निविदा की वैधता इसकी प्राप्ति की अन्तिम तिथि से 90 दिन के लिए होगी। प्राप्त निविदाओं को वापस नहीं किया जायेगा।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा ।

संख्या 605 / दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ।
2– अपर प्रमुख वन संरक्षक,आई0टी0,अरण्य सदन, सैक्टर 19 इन्द्रिरा नगर, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि टैण्डर नोटिस को विभागीय वेबसाईट पर लोड करने का कष्ट करें। (स्पीड पोस्ट के माध्यम से)।
3– मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उ0प्र0 लखनऊ।
4– मुख्य वन संरक्षक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 कैम्पा, लखनऊ।
5– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आगरा जोन, उ0प्र0, आगरा ।
6– वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।
7– जिलाधिकारी, मथुरा ।
8– समस्त प्रभागीय निदेशक, आगरा वृत्त आगरा ।
9– जिला सूचना अधिकारी, मथुरा ।
10– जिला उद्यान अधिकारी, मथुरा ।
11– उप प्रभागीय वनाधिकारी, मथुरा ।
12– समस्त वन क्षेत्राधिकारी, सा0वा0प्रभाग, मथुरा को 5–5 प्रतियों में व्यापक प्रचारार्थ।
13– प्रभारी, एन0आई0सी0, मथुरा को राजकीय वैबसाईट पर डालने हेतु।
14– नोटिस बोर्ड।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा ।